11.9.91

नगर परिषद (सिटी बोर्ड) जौनपुर की बैठक दिनांक 11.9.91 अपरान्ह 5.00 श्री सीतारामयादव, अध्यक्ष सिटी बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1.	श्री सीतारामयादव	अध्यक्ष
2	" दुबलाल साहू	मान्य सभासद
3	" रामअधार यादव	" "
4	" मिर्जा ज्यारत हुसैन	" "
5.	" रमजान खाँ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
6	" श्रीमता आर्य	मान्य सभासद
7	" मिठाईलाल	" "
8	" कैलाशनाथ मौर्य	" "
9	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
10	" हाजी मो० सलीम	मान्य सभासद
11	" डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	" "
12	" गणेशनाथ रावत	" "
13	" लालचन्द्र मौर्य	नगर विधायक/पदेन सदस्य
14	" रविन्द्र प्रताप सिंह	मान्य सभासद
15	" दयाशंकर साहू	" "
16	" सै० मेंहदी हसन	" "
17	" विद्यासागर सोनकर	" "
18	" वीरेन्द्र कुमार यादव	" "
19	" शिवकुमार गुप्ता	" "
20	" मुख्तार अहमद	" "
21	" नजीर हुसैन	" "

(हस्ताक्षर)
(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
11.9.91

(हस्ताक्षर)
(सीतारामयादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
11.9.91

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली बैठक दिनांक 24.7.91 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	कार्यवाही वास्ते पुष्टि हेतु प्रधान लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा पढ़े जाने पर श्री गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने आपत्ति उठाते हुये यह कहा कि उनके वार्ड में मात्र एक हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, जबकि उन्होंने दो हैण्ड पम्प का प्रस्ताव दिया था और वह जलकल द्वारा तैयार किये गये लिस्ट में सम्मिलित कराया गया था. इसी बीच श्री मिठाईलाल, मान्य सभासद ने कहा कि उनके वार्ड (वाजिदपुर दफीना) में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं। उनके इस कथन पर अधिकांश सभासदों ने आपत्ति उठाया कि किसी क्षेत्र विशेष से निर्वाचित सभासद के कार्य क्षेत्र में उनके संस्तुति के बावजूद उस क्षेत्र में हैण्ड पम्प न लगाना उस सभासद की प्रतिष्ठा पर आघात एवं हम सभी सदों की छवि धूमिल होना है। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि हैण्ड पम्प के लिये जो सूची तैयार की गयी थी, उसे सदन में प्रस्तुत किया जाये, यदि वह सूची यहाँ नहीं है तो उसे अभी मंगाया जाये फिलहाल जलकल अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता (जल) जो

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

श्री सदन में उपस्थित थे, जैसे लगाये जाने हैण्ड पम्प के विषय में सदन को अवगत कराये। श्री केदारनाथ यादव, अम्बेडकर (नगर) श्री सिद्धहीलाल प्रजापति ([illegible] दक्षिणी) के क्षेत्र में लगाये जाने हैण्ड पम्प के बारे में यह स्थिति स्पष्ट किये कि इनके वार्ड में प्रस्तावित स्थान पर हैण्ड पम्प लगाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजा गया था, जो वहाँ से स्वीकृत नहीं हुआ। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते डा० श्री कृष्ण कुमार माननीय सभासद ने कहा कि बोर्ड इस पर तब तक सहमति नहीं देगा जब तक वह सूची (हैण्ड पम्प लगाने वाले स्थान की) प्रस्तुत नहीं किया जाता। फिलहाल इस बीच में कार्यवाही स्थगित की जाती है। ऐसी दशा में जब वह सूची प्रस्तुत होगी तब उसकी पुष्टि की जायेगी।

पिछली कार्यवाही 24.7.81 को सदन में पढ़कर लिपिक द्वारा प्रमाणित करते समय आये हुये दृष्टान्त को लेकर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि पिछली

प्रस्ताव

निर्णय:

बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि श्री नरेन्द्रनाथ सिंह सफाई एवं स्वास्थ्य निरीक्षक पुलिस बल की सहायता से, अवैध रूप से गोश्त की दुकानों / गुमटियों में जानवरों का वध करने वालों दुकानदारों का चालान करायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, इस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी, सदन को अवगत कराया जाय इस पर उन्हें बताया गया कि श्री नरेन्द्रनाथ सिंह, सफाई एवं स्वास्थ्य निरीक्षक का स्थानान्तरण आजमगढ़ नगर पालिका में हो गया और वे यहाँ से दिनांक 27.7.1991 को वे यहाँ से अवमुक्त भी कर दिये गये हैं, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि पत्र भेजकर उनसे कृत कार्यवाही की रिपोर्ट माँगी जाये और यदि वे अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं करते तो उनके लिए उनके विरुद्ध गोपनीय आख्या भेजी जाय जबतक उनका इस विषय पर उत्तर नहीं आ जाता तब तक उन्हें L.P.C. अन्तिम देयक प्रमाण पत्र न दी जाय।

डा० श्रीवास्तव सभासद ने पूछा कि क्या उनके स्थान पर कोई सफाई निरीक्षक आये हैं?

11.9.

प्रस्ताव :

निर्णय :

इस पदाध्यक्ष ने बताया कि श्री
केशवप्रसाद सिंह, सफाई एवं
खाद्य निरीक्षक अभी हाल ही में
इस पालिका में पद भार ग्रहण
किये हैं। और श्री केशव प्रसाद
सिंह, सफाई एवं खाद्य
निरीक्षक, सदन में खड़े होकर
अपना परिचय दिया। डा०
श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मान्य सभासद ने अध्यक्ष जी
से कहा कि कृपया नये खाद्य
निरीक्षक को निर्देशित किया
जाये कि वे गोश्त की दुकानों
का नियमित निरीक्षण तत्काल
शुरू कर दें और जो लोग
दुकानों। गुमटियों में जानवरों
का वध करते हैं उनके
लाइसेन्स तुरन्त निरस्त करें
और उनका चालान करें।
चर्चा को आगे बढ़ाते
हुये श्री श्रीमताप आर्य ने कहा
कि जहाँगीराबाद में जो मीट
मार्केट है, वहाँ आस पास घनी
बस्ती होने के कारण मीट मार्केट
की दुकानों में गोश्त के लिए
जानवर वध होने से स्थानीय
नागरिकों को घृणा होती है
जिससे जनजीवन प्रभावित
होता है यदि सम्भव हो तो
या इस प्रकार का कोई

निर्णय ...

हो कि ऐसे मीटिंगों को
बाहर के बाद एकल स्कूल
पर शिफ्ट किया जाय इस पर
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसकी
तत्काल व्यवस्था संभव नहीं है।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
माननीय सभासद ने कहा कि जो ये
नियुक्तियाँ हरिजनों की सफाई
एवं स्वीपर पद पर नगर जनता
इन्टर कालेज में की गयी है।
इसके सम्बन्ध में पिछली बैठक में
उनके द्वारा प्रस्ताव की गयी थी
कि किस जाति के है और
क्या स्वीपर पद पर किसी
हरिजन की नियुक्ति वैधानिक
है? जिस पर अधिशासी-
अधिकारी ने यह स्पष्ट किया
था कि स्वीपर पद पर
डोम, भंगी की ही नियुक्ति
की जा सकती है, इस पर
यदि स्वीपर पद पर किसी
हरिजन की नियुक्ति की गयी है
तो वह नियमानुकूल नहीं है।
इस पर अध्यक्ष महो० ने
बताया कि स्कूल की सफाई
का मामला कुछ और ही है।
इस पर डा० श्रीवास्तव सभासद
ने कहा कि यदि बोर्ड के
माध्यम से उक्त नव नियुक्त
स्वीपर का स्थानान्तरण के

मामला :-

निर्णय :-

11.9.9

अपने वार्ड (मोहल्ला) में
नहीं तो क्या वह भी
सफाई कर्मचारी (झाड़ू
साफ करने का कार्य) कर
सकता है, इन्होंने कहा
कदापि वार्ड में उक्त कार्य
करेगा। इस पर अध्यक्ष
ने कहा कि यदि कोई
सफाई कार्य करने को तैयार
हो तो उससे कार्य लिया
जा सकता है। इस पर
डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
मान्य सभासद ने कहा कि
कल दिन जब वह स्थायी
हो जायेगा तो उसका स्थान
अन्यत्र वार्ड में किया जायेगा
तो वह अवश्य किसी नेता
के माध्यम से दबाव डालेगा
और वार्ड में सफाई कार्य नहीं
करेगा, इस पर अध्यक्ष महोदय
ने कहा कि उनसे अनुबन्ध
पत्र भरा लिया जायेगा कि
यदि वह वार्ड में सफाई
कार्य नहीं करेगा तो उसे
पदच्युत कर दिया जायेगा
और इस अनुबन्ध पत्र को
नियम में लिखा दिया
जायेगा। डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
ने उक्त नियुक्ति के प्रति
अपना विरोध अभिलिखित

निर्णय :-

करने को कहे और नियुक्ति को निष्कासित करते हुये उसे हटा दिये जाने के लिए कहा क्योंकि वह स्वीपर संवर्ग का नहीं है। इनके विरोध पर सदन के सर्वाधिक सभासदों ने उनसे सहमति व्यक्त करते हुए विरोध किया। इस पर श्री लालचन्द मौर्य, नगर विधायक ने कहा कि यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि विरोध-विरोध के लिये नहीं बल्कि रचना के लिये होता है, यहाँ कार्य लेने की बात है, जो वह नव नियुक्त स्वीपर कर रहा है और यदि उसका स्थानान्तरण होता भी है तो वह स्वीपर ही रहेगा और स्वीपर पद पर ही स्थानान्तरण होगा अन्य पद पर नहीं।

इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी एवं उपस्थित सभासदों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि नियुक्ति की वैधानिकता के लिए है, ऐसे सवर्णों के व्यक्ति को नियुक्त करके इसके लिये हकदार डोम

प्रस्ताव	निर्णय
	मंगो सिरादी के एक ... पूना है। अध्यक्ष महोदय ... कि उस पद नियुक्त ... के नियुक्ति का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर से प्राप्त हो गया तो वह वैधानिक है, ... उनके वेतन का भुगतान ... सदाय खाते से जिला वि... निरीक्षक कार्यालय से हो ... है तो उनका स्थानान्तरण भी कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा एवं बहस के उपरान्त पिछली कार्यवाही की पुष्टि सदन द्वारा की गयी।
2. सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह जुलाई 91 का मासिक आय-व्यय लेखा पत्रादि परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	यह प्रस्ताव वित्त समिति बैठक दिनांक 8.8.91 ... संस्तुत व अनुमोदित ... अस्तु सर्व सम्मति स्वीका...
3. प्रस्ताव श्री गणेशनाथ रावत, सभासद, जिसका समर्थन सर्वश्री शिवकुमार व श्री वीरेन्द्र-प्रताप यादव, सभासद ने किया, बाबत शाहगंज पड़ाव के तिराहे पर सिटी बोर्ड जौनपुर द्वारा निर्मित पार्क के अन्दर	प्रस्तावक श्री गणेशनाथ रावत, सभासद ने अपना उक्त प्रस्ताव वापस ले लिया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव	निर्णय
श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में।	
4. स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ का आदेश सं० 6/643/पन्द्र-प्रो० प्रणालि०/91. दिनांक 30-7-91, जिसके अन्तर्गत श्री गजराजसिंह निकायीय प्रधान लिपिक की पदोन्नति सिटी बोर्ड जौनपुर में कार्यालय अधीक्षक के पद पर की गयी है, परिषद सूचनार्थ।	पढ़ा गया।
5. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1 शासनादेश सं० वे०आ०-1-863/दस-48(एम०)-88 दिनांक 3.7.1991, जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को 1.1.1991 से निम्न प्रकार संशोधित मँहगाई भत्ता दिये जाने का आदेश पारित हुआ है, परिषद सूचनार्थ।	पढ़ा गया, स्वीकार।

(1) 3500/- तक मूल वेतन पर। — 51%

(2) 3501/- से 6000/- मूल वेतन पर। — 38% परन्तु कम से कम 1785/-

(3) 6000/- से अधिक मूल वेतन पर। — 33% परन्तु कम से कम 2280/-

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
6. भाषा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 1309/21-1990-11(5)/90 दिनांक 26 मार्च 1990 पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ का निर्देश पत्र सं० 6/828/35 सामान्य/91 दिनांक 1.5.91 जो सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिये जाने के सम्बन्ध में है, परिषद सूचनार्थ |	पढ़ा गया, पालन [illegible] जाय |
7. आख्या प्रधानाचार्या, नगर पालिका बालिका उ०मा० विद्यालय, एटा कि हाई स्कूल कक्षाओं में साहित्यिक वर्ग के साथ विज्ञान विषय अतिरिक्त विषय के रूप में प्रारंभ करने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु |	स्वीकार | अग्रसा[illegible] की जाय |
8. प्रस्ताव पालिका निर्माण विभाग कि जलमल नाला में सड़क की तरफ दुकान बनाये जाने का प्रस्ताव, जिस पर रूपया 3,88,075=12 पैसे व्यय पड़ेगा, परिषद अनुमोदन हेतु |	स्वीकार |
9. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर रखवे गये	स्वीकार |

प्रस्ताव	निर्णय
15 स्वच्छकों का कार्यकाल, रुपया 25/- दैनिक मजदूरी की दर से दिनांक 1.8.91 से 30.9.91 तक, बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	
10. पालिका सफाई विभाग में 3 ट्रैक्टरों पर 9 सफाई बेलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक मजदूरी रु025/- पर रखने की अवधि दिनांक 1.8.91 से 30.9.91 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
11. पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु 30/- पर 33 पम्प अटेन्डेंटों का कार्यकाल 1.8.91 से 30.9.91 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
12. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी 25/- प्रतिदिन की दर से रखे गये 11.	स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
बेलदारों का कार्यकाल 1.9.91 से 30-2-92 तक बढ़ाये जाने ~~का प्रस्ताव~~ सम्बन्धी जलकल विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	
13. पालिका प्रकाश विभाग में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में रखे गये एक मिस्त्री का कार्यकाल दिनांक 1.9.91 से 30.2.92 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पूर्व स्वीकृत दर 30/- पर रखने की प्रकाश विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
14. पत्रादि बावत नगर के विभिन्न क्षेत्रों की तहबाजारी वसूल करने हेतु पूर्व से कार्यरत पद तहबाजारी मोहर्रिर को दैनिक मजदूरी रुपया 30/- पर रखने की स्वीकृति दिनांक 1.9.91 से 30.2.92 तक परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
15. पत्रादि बावत पालिका में वर्तमान समय में निर्माण विभाग, आई०डी०एस०एम०टी० नेहरु रोजगार योजना, लघु उद्यम जैसी नवीन योजनाओं	स्वीकार।

निर्णय –

प्रस्ताव –

के पत्रादि परिषदीय कार्य
के टंकण कार्य की अधिकता
को समय पूरा कराने हेतु
एक अतिरिक्त टाइपिस्ट
30/- प्रतिदिन मजदूरी पर
रखने का प्रस्ताव दिनांक
20-8-91 से दो माह के लिये
रखने हेतु, जिसके लिए
पालिका के श्री राजेन्द्र प्रताप
सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं
श्री रमजान खाँ, कनिष्ठ उपा०,
श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह तथा
अन्य सभासदों ने संस्तुति
की है, परिषद अनुमोदन
हेतु।

16. पत्रादि बावत नगर पालिका | स्वीकार। अग्रेत्तर कार्यवाही
बालिका उ०मा० विद्यालय, | की जाय।
टहटा को हाईस्कूल
कक्षाओं में विज्ञान वर्ग की
मान्यता के लिये सम्बन्धित
उच्चाधिकारियों को आवेदन
करने तथा विज्ञान की कक्षाओं
को प्रारम्भ करने के लिये
शासन की स्वीकृति प्राप्त
करने व आवेदित वर्ग –
'विज्ञान' को खोलने हेतु भवन-
निर्माण, साज सज्जा शिक्षण
सामग्री, पुस्तकालय व
अन्य खर्चों के लिये आय-
व्ययक में 37,500/- का

प्रस्ताव — निर्णय :-

का प्राविधान किये जाने
का प्रस्ताव परिषद
स्वीकृति हेतु।

17. पत्रांक बावत शासनादेश प्रस्ताव पढ़े जाने पर अधिकांश
सं० 3698/11-7-नं०रो०यो०/ सभासदों ने कहा कि इस योजना
90 दिनांक 12-10-90 के में अब तक क्या क्या कार्यवाही
अन्तर्गत नगर क्षेत्र में झुग्गी- की गयी, क्योंकि जनता को
झोपड़ी सुधार योजना इस सम्बन्ध में अभी तक कोई
के अन्तर्गत 500 (पांच सौ) जानकारी नहीं मिली है, नगर
ईकाई के निर्माण हेतु हडको / अभियन्ता / कार्यवाहक अधिशासी
सचिव, राज्य नगर विकास अधिकारी ने सदन को बताया
प्राधिकरण विकास भवन. कि 669 आवेदनपत्र झुग्गी-
लखनऊ से रुपया 15,00,000/- झोपड़ी के प्राप्त हुये हैं, जिस
ऋण, भारत सरकार से रुपया केन्द्रीय अवर अभियन्ता ने
4,00,000/- अनुदान के रूप में स्थल का निरीक्षण करके
तथा राज्य सरकार से रुपया अपनी अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित
1,00,000/- का अनुदान प्राप्त आवेदनपत्रों पर दी है, जिनमें
करने सम्बन्धी कार्यवाही का से 559 आवेदनपत्र झुग्गी झो
प्रस्ताव परिषद अनुमोदन के उपयुक्त पाये गये। इस पर
हेतु। डा० श्री कृष्णकुमार व श्री श्यामा
आर्य, मान्य सभासद ने यह
झुग्गी झोपड़ी सम्बन्धी धनराशि
कहाँ है, और इसका आवंटन
अब तक क्यों नहीं किया गया,
इतने काफी दिनों पूर्व आवेदन
भरे जाने और उस पर अब
तक कार्यवाही में शिथिलता
के कारण हम लोगों की प्रतिष्ठा
प्रभावित एवं धूमिल हो रही

11.3.91

प्रस्ताव　　　　निर्णय :-

का प्राविधान किये जाने
का प्रस्ताव परिषद
स्वीकृति हेतु।

17. पत्रांक बाबत शासनादेश　प्रस्ताव पढ़े जाने पर श्री
सं० 3669/11-7-ने०रो०यो०/ सभासदों ने कहा कि इस यो
90 दिनांक 12-10-90 के　में अब तक क्या क्या कार्य
अन्तर्गत नगर क्षेत्र में झुग्गी- की गयी, क्यों कि उन लोगों
झोपड़ी-सुधार योजना　इस सम्बन्ध में अभी तक कोई
के अन्तर्गत 500 (पांच सौ) जानकारी नहीं मिली है, नगर
इकाई के निर्माण हेतु हडको/ अभियन्ता/कार्यवाहक अधिशासी
सचिव, राज्य-नगर विकास अधिकारी ने सदन को बताया
प्राधिकरण विकास भवन, कि 669 आवेदनपत्र झुग्गी-
लखनऊ से रूपया 15,00,000/- झोपड़ी के प्राप्त हुये हैं, जि
ऋण, भारत सरकार से रूपया क्षेत्रीय अवर अभियन्ता ने
4,00,000/- अनुदान के रूप में स्थल का निरीक्षण करके
तथा राज्य सरकार से रूपया अपनी अपनी रिपोर्ट सम्बन्धि
1,00,000/- का अनुदान प्राप्त आवेदनपत्रों पर दी है, जिसमें
करने सम्बन्धी कार्यवाही का से 559 आवेदनपत्र झुग्गी के
प्रस्ताव परिषद अनुमोदन　के उपयुक्त पाये गये। इस पर
हेतु।　डा० श्री कृष्णकुमार व श्री श्याम
आर्य, मान्य सभासद ने यह
झुग्गी झोपड़ी सम्बन्धी धनरा
कहाँ है, और इसका आवंटन
अब तक क्यों नहीं किया गया,
इतने काफी दिनों पूर्व आवेद
भेजे जाने और उस पर अब
तक कार्यवाही में शिथिलता
के कारण हम लोगों की प्रति

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	इस पर नगर अभियन्ता / कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की, कि अभी तक इस योजना का धन इस पालिका को प्राप्त नहीं हो पाया है, परन्तु इस हेतु प्रयास जारी है। शासन द्वारा इस प्रकार का निर्देश है कि सर्वप्रथम बोर्ड से प्रस्ताव पारित करके लाया जाय, उसके पश्चात ही शासन धन स्वीकृत करेगी, इस पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि धनराशि की प्राप्ति हेतु शासन को पत्राचार किया जाय ताकि योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ हो सके।

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से :-

18. प्रस्ताव श्री शोभनाथ आर्य, मान्य सभासद एवं अध्यक्ष 'मायांजलि संस्था' मियांपुर जौनपुर जिसका समर्थन सर्वश्री राजेन्द्र प्रतापसिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री रमजान खां कनिष्ठ उपाध्यक्ष, डा० श्री कृष्णकुमार मान्य सभासद सहित कुल 18 सभासदों ने किया, कि लाइन बाजार डाँक बंगला चौराहे पर "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राजदेवसिंह जी की प्रतिमा 'मायांजलि संस्था मियांपुर जौनपुर	लाइनबाजार डाँक बंगला चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राजदेव सिंह जी की प्रतिमा "मायांजलि संस्था मियांपुर जौनपुर द्वारा लगाने की अनुमति सहर्ष प्रदान की जाती है।

11.9.91

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
द्वारा लगाये जाने की अनुमति दिये जाने पर विचार।	
19. प्रस्ताव श्री सै० मेंहदी हसन मान्य सभासद वार्ड नं० (मुफ्ती मोहल्ला) जिसका समर्थन सर्व श्री विद्यासागर सोनकर, सभासद, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री रिजवान खाँ, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 18 सभासदों ने किया - कि मुफ्ती मोहल्ला, मुल्लाटोला कोठियाबीर, बोरह दुआरिया आदि मुहल्लों पेयजलाभाव, मिसिरपुर मुहल्ला में निर्माणाधीन नलकूप के बनने पर भी, समस्या का निदान संभव नहीं है, को ध्यान में रखते हुये, मुफ्ती मोहल्ला में एक नया नलकूप लगाने का प्रकरण, परिषद अनुमोदन हेतु।	मुफ्ती मोहल्ला वार्ड में पेयजल समस्या के निदान हेतु एक नया नलकूप लगाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आने वाली योजना में इस पर प्राथमिकता प्रदान की जाय। जलकल अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 11.9.91 की पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

1. जोइन बाजार पुरानी चुंगी के स्थान पर पूर्व निर्मित 5 दुकानों के शेष निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिस पर रु० 1,29,347.00 व्यय पड़ेगा, परिषद बैठक में अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। अग्रेत्तर कार्य की जाय।

सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 11.9.91 को द्वितीय - पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

1.	झुग्गी-झोपड़ी सुधार योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण/अनुदान के सम्बन्ध में निदेशालय, लखनऊ के निर्देश पत्र सं० एक/15/3-ने०रो०यो०/91 दिनांक 11.7.1991 के निर्देशानुपालन में कमेटी गठित करने तथा प्राप्त आवेदनपत्रों पर समुचित कार्यवाही करने हेतु परिषद आदेशार्थ।	सर्वसम्मति से एक कमेटी गठित करने एवं प्राप्त आवेदनपत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु स्वीकार। अध्यक्ष कार्यवाही करें।
2.	रिक्शा चालकों को मालिक बनाने सम्बन्धी नेहरू रोजगार योजना के तहत वर्ष 1990-91 में 133 रिक्शा बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही परिषद अनुमोदन एवं इसी योजना के अन्तर्गत शहरी लघु उद्यम योजना (सुमे) के अन्तर्गत नागरिकों से प्राप्त आवेदनपत्र तथा इसी के अन्तर्गत रिक्शा-चालकों को मालिक बनाने सम्बन्धी योजना क्रम में राष्ट्रीयकृत बैंकों में फार्मों को भेजने सम्बन्धी कार्यवाही का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	इस प्रस्ताव को पढ़े जाने पर श्री मताप आर्य, मान्य सभासद ने कहा कि इसके पहले रिक्शा चालकों को मालिक बनाये जाने सम्बन्धी कितने फार्म भेजे गये, उनकी जानकारी में नहीं है और न ही फार्म मिला। उन्होंने यह भी पूछा कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी धन आया है, वह किस किस मद में व्यय होना है, से सम्बन्धित विवरण सभी सभासदों को दिया जाय, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पूछा कि इस योजना के तहत जो आवेदनपत्र कार्यालय को प्राप्त हुए हैं क्या वह पर्याप्त है?

प्रस्ताव।	निर्णय.-
	अध्यक्ष की अनुमति से श्री गोपीकृष्ण श्रीवास्तव, का०अधीक्षक जो इस कार्य को देख रहे हैं, ने बताया कि नेहरू रोजगार योजना (सु०मे०) के अन्तर्गत जो आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें से प्रत्येक सभासदों के 6 आवेदनपत्र विशेष रूप से लिये गये हैं। डा० श्री श्रीवास्तव मान्य सभासद ने सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो प्रत्येक सभासदों की संस्तुति पर लिये जाने वाले फार्मों में 2-2 फार्म और बढ़ाकर सभासदों के कोटे में सम्मिलित करके भेज दिया जाय, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी। डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पुनः पूछा कि जब नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत ध्यान काफी पहले प्राप्त हो चुका था, तो इसे बोर्ड को और पहले की बैठकों में क्यों नहीं रखवा गया। इतने विलम्ब से रखने का क्या औचित्य है? इस पर अध्यक्ष महो० ने बताया कि बोर्ड में इसका प्रस्ताव पारित कराने हेतु ए०डी०एम०, जो इस योजना कार्यान्वयन के सहायक

प्रस्ताव:-	निर्णय:
	ने बहुत बाद में जानकारी दिया इसलिए इसे अब बोर्ड की बैठक में रखा गया है। उपरोक्त विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 11.9.91 के लिये तृतीय पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

1. प्रस्ताव हाजी मो० सलीम, सभासद, जिसका समर्थन श्री सै० मेंहदी हसन व श्री नजीर अहमद, माननीय सभासद ने किया, कि सिपाह तिराहा का जो रास्ता आजमगढ़ को जाता है, पर एक पार्क जनहित में बनवाया जाय, परिषद अनुमोदन हेतु।	सिपाह तिराहे के निकले खाली म्युनिस्पल भूमि पर पार्क बनवाये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। नगर अभियन्ता अग्रेतर कार्यवाही करें।

चर्चाकाल प्रकरण :-

श्री रमजान खाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने पूछा कि क्या इन्दिरा मार्केट की ऊपरी तल की दुकानें बन-कर तैयार हो गयी हैं, यदि तैयार हो गयी हैं तो कब तैयार हुयी और अब तक उसे आवंटित क्यों नही किया गया? ऐसा न होने से बोर्ड का आर्थिक नुकसान हो रहा है। यदि दुकानें आवंटित की गयी हैं तो किसको आवंटित की गयी है? इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री

चर्चाकाल। -

कामेश्वर सिंह, जन अभियन्ता ने बताया कि कुछ दुकानें बनी हैं, जो लगभग ३-4माह पूर्व में बनकर तैयार हुयी है, इस पर श्री रमजान खां, पार्षद ने कहा कि इसे अब तक क्यों नहीं आवंटित किया गया इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस पर कुछ आपत्ति इस प्रकार की आयी है कि जो कारिडोर लगायी गयी है, उसमें जमीन की कारिडोर लगी है इसे न लगाया जाय। इस पर श्री सै० मेंहदी हसन माननीय सभासद ने कहा कि यदि जमीन की कारिडोर के बराबर कारिडोर लगायी जाती है तो फिर उसकी रजिस्ट्री कर दी जाय, परन्तु किराया देय होगा।

जन स्वास्थ्य समिति के सभापति द्वारा दिनांक २४.४.९१ को निर्गत कार्यालय-आदेश जो समस्त सफाई हवलदारों को उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र के माननीय सभासदों से दैनिक कार्यों के प्रति दैनिक डायरी पर हस्ताक्षर कराने सम्बन्धी आदेश को नोट करने हेतु दिये जाने पर श्री रामपालसिंह, सफाई हवलदार, तालाबटोला वार्ड द्वारा यह लिखना " जब तक वेतन नहीं कोई सम्पर्क नहीं " सम्बन्धी प्रकरण, श्री मुख्तार अहमद, सभापति 'जनस्वास्थ्य समिति' द्वारा सदन में रखा गया, जिस पर सभी माननीय सभासदों ने विरोध प्रकट किया। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि एक सफाई हवलदार द्वारा इस प्रकार के शब्दों को अभिलिखित करना स्वास्थ्य समिति के सभापति द्वारा निर्गत आदेश की अवमानना है एवं सफाई हवलदार की निरंकुशता का द्योतक है, यह अशोभनीय स्थिति है अतएव मैं बोर्ड में इनके इस कुकृत्य पर इन्हें तत्काल निलम्बित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस पर श्री रमजान खां, पार्षद उपाध्यक्ष ने इस प्रस्ताव

शून्य काल :—

समर्थन करते हुए, इन्हें तत्काल निलम्बित करने को कहा, और बहाली भी भविष्य में बोर्ड की बैठक में ही सम्भव की जाय, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी।

श्री रमजान खाँ, माननीय सभासद ने कहा कि कई बार मांग हुयी और पूछा गया कि कितने सफाई हवलदार कौन कौन से वार्ड में हैं उनकी सूची दी जाय, क्योंकि सभासद को यह पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से सफाई हवलदार हैं? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि करों की वसूली के लिए प्रयास किये जांय और कर विभाग के अधिकारी/कर्मचारी क्षेत्रीय सभासदों से मिलकर वसूली के बारे में स्थिति बतावें, ताकि वे भी अपने स्तर से इस कार्य में सहयोग करके वसूली में प्रयास करें।

श्री रमजान खाँ, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ने नगर में घूमने वाले आवारा पशुओं की स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए उन्हें पाउन्डघर में बन्द कराने का सुझाव दिये। ओलन्दगंज इदगाह, उमरपुर आदि मुहल्लों के क्षेत्रों में आवारा घूमने वाले सुअरों को ठेला के माध्यम से पकड़कर पाउन्डघर में बन्द करने का भी सुझाव दिया, क्योंकि इससे ~~[illegible]~~ यातायात में नागरिकों को परेशानी होती है।

श्री रमजान खाँ, माननीय सभासद ने साजिदा गर्ल्स इन्टर कालेज के पास एक अदद सोडियम लैम्प लगाने हेतु सिफारिश किया।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, माननीय -

11.9.91

चर्चाकाल :-

सभासद ने कहा कि अध्यक्ष की अनुमति से अपने मान्य सभासदों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अहियापुर में नयी ~~गुमटी~~ गुमटी रखकर मन्दिर के पास जानवर गोश्त के लिए काट लिया जाता है, जिससे वहां के स्थानीय नागरिकों का काफी विरोध है, इसे तत्काल बन्द कराया जाय इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि यदि यह सही है तो उनका लाइसेन्स भी यदि बना है तो उसे तुरन्त निरस्त करके गुमटी हटवा दी जायेगी।

श्री रमजान खां, कतिपय उपाध्यक्ष ने कहा कि नये सफाई निरीक्षक श्री कुमार सिंह आये हैं, वे प्रतिदिन नगर में घूम कर और जो भी जानवर गोश्त के लिए खुले रूप से कटते हैं उनका नाम पता नोट करके उनका लाइसेन्स निरस्त करके उनका चालान करें।

(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी,
सिटी बोर्ड जौनपुर
11.9.91

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर
11.9.91